

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.4(66)नविवि/II/2020

जयपुर, दिनांक: 12 Oct 2021

आदेश

प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये सुश्री सोनिया पारखी, सहायक अभियन्ता (पीएचई) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 17.08.2021 से एक वर्ष बढ़ाये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Adf
(अवधेश सिंह)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. शासन उप सचिव-प्रथम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
5. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. सुश्री सोनिया पारखी, सहायक अभियन्ता (पीएचई) सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।

15
सहायक शासन सचिव-द्वितीय